14/6/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता श्री महेश कुमार पुरोहित द्वारा वादी पक्ष के वकालतनामा व राजीनामा प्रस्तुत किया है जो तस्दीक होकर शामिल वाद पत्र है। राजीनामा होने के कारण प्रार्थना पत्र में वाद की स्थिति समाप्त होने के कारण प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर मय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.5.24 सहित खारिज किया जाता है। पत्रावली कोर्ट [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.24 18:12:00 IST
Reason: SelfAttested